

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. पुनरीक्षण याचिका (रिट) संख्या 210/2022

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6082/2021 में

श्रीमती शांति देवी पत्नी दुलिचंद, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी काका नाई की दुकान के पास, विजय नगर हीरादास भरतपुर राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव के माध्यम से, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर राजस्थान
2. कोषाध्यक्ष, कोषागार कार्यालय भरतपुर राजस्थान
3. निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण राजस्थान निदेशालय जयपुर
4. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उच्चैन जिला भरतपुर राजस्थान

----प्रतिवादीगण

से संबंधित

डी.बी. पुनरीक्षण याचिका (रिट) संख्या 212/2022

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4121/2020 में

श्रीमती सुनीता पत्नी अशोक कुमार, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी मुकाहाना, तहसील वैर, जिला भरतपुर राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर
3. कोषाध्यक्ष कोषागार कार्यालय, भरतपुर राजस्थान।

4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर राजस्थान
5. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक हलेना, जिला भरतपुर राजस्थान

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	: श्री भुवनेश शर्मा, एएजी के साथ श्री शिवम चौहान, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण के लिए	: श्री आर.बी. शर्मा गंधोला, अधिवक्ता श्री महिपाल एस. शेखावत, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेश

08/11/2024

1. ये दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं इस आदेश द्वारा तय की जाती हैं क्योंकि इनमें शामिल मुद्दा और तथ्य समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य रिट पुनरीक्षण याचिका संख्या 210/2022 से लिए जा रहे हैं।
2. पुनरीक्षण याचिका 313 दिनों के विलंब क्षमा करने के आवेदन के साथ दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 13.12.2021 के आदेश पारित होने के बाद, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत, प्रभारी अधिकारी को 08.06.2022 को नियुक्त किया गया और पुनरीक्षण 22.11.2022 को दायर किया गया।
4. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विलंब क्षमा करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
5. विलंब क्षमा करने की याचिका में यह दलील दी गई है कि वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने में समय लगा। राज्य के अधिकारियों ने मामले को आगे बढ़ाने और पुनरीक्षण तैयार करने में अपना समय लिया और यह विलंब क्षमा करने का आधार

नहीं हो सकता। 313 दिनों का विलंब है और विलंब का कोई उचित कारण स्वीकार्य नहीं बताया गया है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड अन्य के मामले में, जो [(2010) 5 **SCC** 459] में रिपोर्ट किया गया है, यह माना कि कम अवधि के विलंब क्षमा करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जबकि, जहां विलंब असाधारण है, वहां सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। विलंब को यांत्रिक रूप से क्षमा नहीं किया जाना चाहिए।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एंड अन्य के मामले में, जो [2012] 1 S.C.R. 1045 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना कि परिसीमा कानून सरकार सहित सभी पर बाध्यकारी है और सरकारी विभागों पर यह विशेष दायित्व था कि वे लगन और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। विलंब क्षमा एक अपवाद था और इसे सरकारी विभागों के लिए पूर्वानुमानित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, केवल इस सामान्य कारण पर विलंब क्षमा नहीं किया जा सकता कि फ़ाइल लंबित थी।

8. परिसीमा के भीतर पुनरीक्षण दायर करने के लिए किए गए प्रयासों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फ़ाइल लंबित रखी गई और आरामदायक गति से आगे बढ़ी। उचित कारण के अभाव में, केवल इस कारण से विलंब क्षमा नहीं किया जा सकता कि आवेदक सरकारी विभाग है।

9. विलंब क्षमा करने के आवेदन खारिज किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(उमा शंकर व्यास),जे

(अवनीश झिंगन),जे

गौरव/एचएस/104-105

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

